

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 25.02.26

क्रमांक रीडर/2026/871

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मगाराम 2 मोहनराम  
पिसरान दीपाराम जाति  
सुथार निवासी कनोडा  
तहसील व जिला बाडमेर।

1 चूनाराम पुत्र पदमाराम जाति भील 2 चन्द्रकंवर पत्नि  
भंवरसिंह 3 जामतसिंह 4 शैतानसिंह 5 देरावरसिंह 6  
निम्बसिंह पिसरान भंवरसिंह 7 चन्दनसिंह 8 कमलसिंह 9  
कमलसिंह 10 मगसिंह पिसरान रावतसिंह 11 गुमानसिंह  
पुत्र खेतसिंह 12 गेनसिंह 13 भगवानसिंह 14 लक्षमणसिंह  
गिरधरसिंह पिसरान सगतसिंह जाति राजपूत निवासी  
कनोडा तहसील व जिला बाडमेर 16 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-829/2025

दिनांक- 19/02/2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कनोडा पटवार सुरा तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खसरा संख्या 431/164 रकबा 4.1683 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432/164 रकबा 4.1683 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419/26 रकबा 3.6017 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2026/872-875

दिनांक- 25.02.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सुरा तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण मगाराम पुत्र दीपाराम जाति सुथार निवासी कनोडा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण चूनाराम पुत्र पदमाराम जाति भील निवासी कनोडा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर